झारखण्ड सरकार

# मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति                                                                                 15.08.2016

## 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवाओं को मिलेगा प्रतिमाह 600 रुपये मासिक पेंशन - रघुवर दास

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 70वीं भारतीय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राज्य की विधवाओं को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना की आज से शुरूआत की। झारखण्ड राज्य में अब 18 वर्ष या इससे उपर की विधवाओं को प्रत्येक महीने 600 रुपये की पेंशन दी जायेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरूआत की है। पूर्व में यह योजना 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी विधवाओं पर लागू थी, जिसे अब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के अनुसार राज्य में सभी विधवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की औपचारिक शुरूआत करते हुए आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने  बुंडू की वीणा देवी , कांके की शांति देवी , कांके रोड की गुन्दुर खलखो, नामकुम की अंजना मेरी खलखो और रांची की रेमन देवी को पेंशन की राशि   600 रूपए प्रदान किये।